[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 03/2018- केंद्रीय उत्पाद श्ल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा0का0िन0 (अ).--केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पिठत वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर िक लोकिहत में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 38/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.िन. संख्यांक 500(अ), तारीख 4 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार